

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-49/2011/180 दिनांक : 22/3/11

समस्त संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
जोन-कोटा/जयपुर/बीकानेर/अजमेर/  
जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।

विषय : आपके अधीन जिले में प्रतिनियुक्ति/कार्य सम्पादन/अधिशेष चिकित्सकों की सूचना/लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहें चिकित्सकों की सूचना/आपके स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्त करने के संबंध में सूचना हर माह की 05 तारीख को भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ : इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक राजपत्रित/सामान्य/प-49/10/917, 918 एवं 919 दिनांक 30.12.10 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख हैं आपको पूर्व में भी उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा आपके अधीन समस्त जिलों की सूचना इकजाई कर हर माह की 05 तारीख को भिजवाने हेतु लिखा गया था जो आज दिनांक तक आपके स्तर से अपेक्षित हैं, अतः हर माह की 05 तारीख को आपके अधीन समस्त जिलों की सूचना इकजाई कर निम्नांकित प्रोफार्मों में भिजवाना सुनिश्चित करें :-

1.

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	प्रतिनियुक्ति/कार्य सम्पादन/अधिशेष किये गये आदेश क्रमांक व दिनांक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	मूल पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

2.

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम व पदनाम	पदस्थापन स्थान	अनुपस्थिति दिनांक कब से कब तक	आप द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5

क०प०उ०

3. (प्रथम)

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	स्थान जहां से स्थानान्तरण हुआ	स्थान जहां के लिए कार्यमुक्त करना था	कार्यमुक्त नहीं करने के कारणों का विवरण
1	2	3	4	5	6

3. (द्वितीय)

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	स्थान जहां के लिए कार्यमुक्त करना था	स्थान जहां के लिए कार्यग्रहण करना था	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 22/3/11

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-49/2011/180

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त सूचनाएं आपके संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को हर माह की 05 तारीख से पहले भिजवाने सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

*Com. keep*  
अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।